(52)

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर पक्ष

संख्या : /XVII-1/2012-01(09)/2009

प्रेषक,

एस. राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01.

देहरादून, दिनांक 12 मार्च 2012.

विषय :स्वैच्छिक संस्था भोटिया जनजाति कल्याण शिक्षा समिति, बलुवाकोट, जनपद–पिथौरागढ़ द्वारा संचालित तीन प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनादि के भुगतान हेतु आवर्तक अनुदान की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–263/XVII-1/2011-01(09)/2009, दिनांक 29.03.2011 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आपके पत्रांक–2141–42/ज.जा.क./स्वै. संस्था/अनु.प्रस्ताव/2010–11, दिनांक 04.02.2011 तथा पत्रांक–1467–68/ज.जा.क./स्वै.संस्था/अनु.प्रस्ताव/2010–11, दिनांक 09.12.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वैच्छिक संस्था भोटिया जनजाति कल्याण शिक्षा समिति, बलुवाकोट, जनपद–पिथौरागढ़ द्वारा संचालित निम्नांकित तीन जनजाति प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापकों के वर्ष 2009–10 के अवशेष वेतनादि के भुगतान हेतु ₹53,496 तथा वर्ष 2010–11 के वेतनादि के भुगतान हेतु ₹4,63,056 इस प्रकार कुल ₹5,16,552 (रूपये पांच लाख सोलह हजार पांच सौ बावन मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) जनजाति प्राथमिक विद्यालय, धूरा, वि.ख.–बेरीनाग, जनपद–पिथौरागढ़।
(2) जनजाति प्राथमिक विद्यालय, छारछुम, वि.ख.–धारचूला, जनपद–पिथौरागढ़।
(3) जनजाति प्राथमिक विद्यालय, घाटीबगड़, वि.ख.–धारचूला, जनपद–पिथौरागढ़

1. उक्त धनराशि का भुगतान किए जाने से पूर्व संस्था द्वारा दिए गए वेतन विवरण के संगत नियमों के आलोक में नियमानुसार एवं वास्तविक होने की पुष्टि कर ली जाए।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि संस्था को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व निर्धारित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जाएगी तथा व्यय के उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. चालीस विद्यार्थियों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाती है तथा प्राथमिक पाठशाला में विद्यार्थियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। इसी के दृष्टिगत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों के अनुपात में ही अध्यापकों के वेतनादि का भुगतान किया जाएगा।

4. यदि संस्था उक्त शर्ते पूरी नहीं करती है तो वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा और धनराशि राजकीय कोष में जमा कर दी जाएगी।
5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–31" के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–277–शिक्षा–07–सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान" की मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।
6. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–81(NP)/XXVII-3/2011-12, दिनांक 14.02.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या–203 (1)/XVII-1/2011-01(09)/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
6. प्रबन्धक, भोटिया जनजाति कल्याण शिक्षा समिति, बलुवाकोट, जनपद–पिथौरागढ़।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(एस.एस. वल्दिया)
उप सचिव।

14-Feb-12 : BHUWAN PANDEY